बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 3

17 फाल्गुन, 1938 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

08 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 20

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	08
2.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	01
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	04
4.	सहकारिता विभाग	....	....	03
5.	सामान्य प्रशासन विभाग	....	....	01
6.	पर्यटन विभाग	....	....	02
7.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**20**

राशि का गबन

***** 158. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में "मुख्यमंत्री नगर विकास योजना" के नाम से बिहार के नगरों यथा नगर परिषद्, नगर पंचायत में पी.सी.सी. सड़क, नाला, घाटों का निर्माण, पार्क का सौन्दर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट इत्यादि योजनाओं से शहरों को विकसित करना था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम में सरकार ने अरबों रुपये खर्च किया, जिसमें पूर्वी चम्पारण जिले के नगर परिषद् मोतिहारी में नाला, सड़क, लाइट, पेयजल, बिजली, पार्कों का सौन्दर्यीकरण अरबों रुपये की लागत से निर्माण कराया गया, परन्तु मोतिहारी नगर परिषद् की लालफीताशाही एवं लूट-खसोट कर कितने वार्डों में नाला, सड़क, पार्कों के सौंदर्यीकरण, लाइट, पेयजल की राशि को लूटकर सिर्फ कागज पर तथा बने हुए नाले फिर से प्राक्कलन बनाकर रुपये का गबन किया गया तथा कई नाले एवं सड़क आधे-अधूरे बनाकर फाइनल बिल में मात्र 1000-2000 रु. रखकर कार्य प्रगति के नाम पर अबतक योजनाओं को फाइनल नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी नगर परिषद् में उपरोक्त योजनाओं में लूट एवं सरकारी राशि का गबन करने वाले कर्मचारियों, पदाधिकारियों एवं अभियंताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो योजना पूरी नहीं कर राशि का गबन किया गया है उसकी वसूली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

***** 159. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल अन्तर्गत हैंठीवाली ग्राम में वज्रपात से दिनांक 29.7.2015 को रोहित कुमार झा की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत के अन्तर्गत वज्रपात से मृतक के अभिभावक को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान के रूप में 4,00000/-00 (चार लाख) की राशि प्रदान की जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, मधुबनी द्वारा पत्रांक-251, दिनांक 26.5.2016 के द्वारा विभाग से उक्त राशि के आवंटन की मांग की गई थी;

(घ) क्या यह सही है कि अनुग्रह अनुदान की राशि के अभाव में तत्काल आकस्मिक कोष से मृतक के अभिभावक को अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार स्वर्गीय रोहित कुमार झा की मोस्मात मां वीभा देवी को उक्त राशि का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

शहरों को लाभान्वित

***** 160. **श्री मंगल पाण्डेय** एवं **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए "अटल" नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत बिहार के लिए अगले तीन सालों तक 1030 करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं की मंजूरी दी है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 को मिलाकर बिहार को अबतक 2469 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि अमृत मिशन के तहत एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सिवरेज, जल प्रदान नालों, सड़क, यातायात और हरित क्षेत्र की योजनाओं के लिए राशि की स्वीकृति दी जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार में इस योजना के तहत बड़ी आबादी वाले किन शहरों को लाभान्वित बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मालगुजारी कर कम कबतक

***** 161. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में भू-मालिकों से मालगुजारी लेने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मालगुजारी कर में अचानक 5 गुना वृद्धि की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि अचानक 5 गुना मालगुजारी कर बढ़ने से किसानों के ऊपर एक बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के हित में 5 गुना मालगुजारी कर को कबतक कम करना चाहती है?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्व लगान की वसूली 5 रु. के गुणक में किये जाने का निदेश दिया गया है। उसी प्रकार चार प्रकार के सेस समेकित राशि की वसूली भी 5 रु. के गुणक में किये जाने का निदेश है। उदाहरणस्वरूप यदि लगान की राशि 1 पैसा से 5 रु. तक है तो वैसी स्थिति में लगान के रूप में 5 रु. की वसूली की जायेगी। उसी प्रकार सेस की वसूली भी की जायेगी।

(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(घ) यह रैयतों के हित में एवं वसूली की सुविधा के लिए किया गया है।

धान की खरीद

***** 162. **श्री लाल बाबू प्रसाद** एवं **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में निबंधन के लिए ढाई लाख किसानों में दो माह बाद मात्र 58 हजार किसानों के आवेदन की जांच हो सकी है;

(ख) क्या यह सही है कि सर्वाधिक धान उत्पादक भोजपुर, बक्सर और कैमूर में तो प्रति जिला 1500 किसानों के निबंधन के कागजात की भी अबतक जांच नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि ड्रायर से धान सुखाकर किसानों से खरीदने की बजाए केन्द्र को पत्र लिखकर नमी वाले धान खरीदने की अनुमति मांगी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने किसानों से धान खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई है, अभी तक कितने धान की खरीद हुई है, यदि नहीं तो क्यों ?

कार्य पूरा कबतक

***** 163. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा स्थित लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर मोहल्ले में पर्यवेक्षण गृह के सामने सड़क किनारे लगभग दो सौ मीटर की दूरी तक गहरा गड्ढा खोद दिए जाने से लोग काफी परेशान हैं;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय लोगों में उक्त गड्ढा से आकस्मिक दुर्घटना होने का भय व्याप्त है जेसीवी से गड्ढा खोदने के बाद अभी तक नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों का वहां दुबारा दर्शन नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर मोहल्ले में खोदे गए गड्ढ़ों को जिस मकसद से खोदवाया गया है, को यथाशीघ्र कार्य पूरा करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा

***** 164. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिले में 153 पंचायतों में मात्र एक ही अनुमंडल है जिसकी आबादी लगभग 12 लाख है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आबादी को अपने कार्यों हेतु झारखंड जिले के गिरिडीह और देवघर जिले के बोर्डर तक होकर लगभग 80-90 कि.मी. की दूरी तय कर जमुई अनुमंडल जाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में घाटी होने के कारण काफी कम बसें चलती हैं और उनका किराया भी ज्यादा रहता है जिसका भुगतान करने में गरीब जनता अपने को असमर्थ पाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में चकाई को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

डोर-टू-डोर कूड़े का उठाव

***** 165. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव की योजना, निविदा प्रकाशन के अभाव में विफल साबित हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के छः अंचलों के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की योजना के विरुद्ध निगम द्वारा 48 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण इसे अबतक अमल में नहीं लाया जा सका है, जिससे शहर के भीतरी इलाकों में कूड़े का अंबार जगह-जगह बिखरा रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राजधानी को स्वच्छ रखने हेतु निविदा प्रकाशित कर डोर-टू-डोर कूड़े की उठाव प्रक्रिया को सफल बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उच्च समिति का गठन

***** 166. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने गया जी को धरोहर नगरी की घोषणा कर इसके संरक्षण एवं विकास के लिए धन राशि मुहैया करायी है;

(ख) क्या यह सही है कि गया शहर एवं गया जी क्षेत्र के विकास के लिए डी.पी.आर. मास्टर प्लान के लिए विचार-विमर्श की आवश्यकता पड़ती है;

(ग) क्या यह सही है कि बैठकों में स्वीकृति प्रदान के पूर्व मूलवासियों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करना आवश्यक है;

(घ) क्या यह सही है कि स्थानांतरित होने वाले पदाधिकारीगण के द्वारा ही धरोहर नगरी के विकास की बैठक कर योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धरोहर नगरी के विकास के लिए सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व की उच्च समिति गठन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

जनसुविधा की व्यवस्था

***** 167. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला स्थित मटिहानी शाम्ही घाट की बन्दोबस्ती प्रतिवर्ष की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घाट पर किसी भी तरह की जनसुविधा का अभाव है;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त घाट पर नाव एवं उसका सुरक्षित परिचालन नहीं हो रहा है जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घाट पर नाव एवं जनसुविधा की व्यवस्था एवं नाव का सुरक्षित परिचालन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

***** 168. **श्री नीरज कुमार** एवं **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत राजीव नगर वार्ड नं.-06, रोड नं.-18 में दयाल सदन से राजीव नगर मुख्य नाला तक पी.सी.सी ढलाई एवं भूगर्भ नाला के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में नगर विकास विभाग ने अपने पत्रांक 5ब/सड़क/4/01-09-32, दिनांक - 29.12.11 को निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं. -18841, दिनांक 15.10.12 को उक्त सड़क एवं भूगर्भ नाला के विकास संबंधी कार्य कराने का आदेश दिया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं जनहित में उक्त सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अनियमितता पर अंकुश

***** 169. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में कोटिवार लिपिकों का पद चिन्हित कर उसके अनुरूप पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि कोटिवार लिपिकों का पद चिन्हित करने के बाद भी निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना के पत्रांक-6739, दिनांक 03.11.2015 में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक - मं.मं.-01 आर.-28/2006/881, दिनांक 03.9.2009 के प्रावधानों के विरुद्ध सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में तृतीय वर्ग के कर्मी विगत् 03 वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर स्थापना एवं अपने गृह जिला में पदस्थापित हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विभाग द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने एवं तृतीय वर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण नियमत: कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नालों की सफाई

***** 170. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत सिपारा में न्यू एतबारपुर वार्ड नं.-09 ढलाई रोड में नाला की उड़ाही नहीं किए जाने के कारण हमेशा जलजमाव की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मुहल्ले के निवासियों द्वारा कई बार संबंधित पदाधिकारियों को नाला उड़ाही कराने के संबंध में आवेदन समर्पित किया गया है, इसके बावजूद कार्रवाई नगण्य है;

(ग) क्या यह सही है कि जलजमाव रहने के कारण इस मुहल्ले में कई बार संक्रामक रोग फैल चुके हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित नाला की सफाई कराने का निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पर्चाधारियों को कब्जा कबतक

***** 171. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चंपारण जिले का भू-हदबंदी से संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, आयुक्त, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में 153 मुकदमे करीब 20 वर्षों से लम्बित हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि वर्णित विभिन्न न्यायालयों में पश्चिमी चंपारण जिले के भू-हदबंदी से संबंधित कितने लंबित मुकदमों

का अबतक निष्पादन हुआ है तथा पर्चे की जमीन पर कितने पर्चाधारियों को कब्जा दिलाया गया है ?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

***** 172. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर की लड़ाई दिनांक 22 अक्टूबर, 1764 में कनकौली के मैदान में अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि बक्सर की लड़ाई के मैदान को देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इस स्थल का भी जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) जिला पदाधिकारी बक्सर ने अपने पत्रांक 05-0256, दिनांक 23.02.17 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि कतकौली ऐतिहासिक मैदान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।
(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।
(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
(घ) उपर्युक्त कंडिका के आलोक में अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रधान लिपिक के पद सृजित कबतक

***** 173**. डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग, बिहार सरकार (निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना) के कुल 143 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 98 कार्यालयों में प्रधान लिपिक के पद स्वीकृत नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन कार्यालयों में प्रधान लिपिक का पद स्वीकृत नहीं होने से कार्यालयों की कार्य संस्कृति तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही लिपिक संवर्ग के कर्मियों को संवर्गीय प्रोन्नति के समुचित अवसर नहीं प्राप्त होने से उनमें मानसिक कुंठा भी जन्म ले रही है, जो राज्य के एक महत्वपूर्ण विभाग की कार्य-उपलब्धि को निश्चित प्रभावित कर रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रधान लिपिक का पद सृजित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भूमि/आवास उपलब्ध कराने की योजना लागू कबतक

***** 174. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विभागीय संकल्प संख्या-8/नियम संशोधन-07-11/2014-488(8), राजस्व, दिनांक 31.12.2014 के द्वारा राज्य शहरी क्षेत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए) वास भूमि नीति, 2014 के तहत वास भूमि/आवास रहित परिवारों को वास भूमि/आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने नीति निर्धारित की है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित संकल्प में पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के वास भूमि रहित परिवारों को शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के पास पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के वासभूमि/आवास रहित परिवारों को नियमानुसार एवं नीतिनुसार वास भूमि/आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना है, नहीं तो क्यों ?

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

* 175. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद विगत् दो वर्षों से रिक्त है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंड बिहार का दूसरा एवं जिला का पहला सबसे बड़ा प्रखंड है, रिक्त पद रहने के कारण गैर विभागीय पदाधिकारी प्रभार में रहते हैं जिसके कारण आपूर्ति संबंधी कार्य बराबर प्रभावित रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन या बगल के प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

कार्य प्रारम्भ कबतक

* 176. **डा. जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में पर्यटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 357, दिनांक 30.01.15 द्वारा बांका जिलान्तर्गत मंदार पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग की स्थापना एवं संचालन हेतु 8,54,55,000 रु. की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के क्रियान्वयन आरंभ हेतु राइट्स, गुड़गांव को राशि भी विमुक्त कर दी गई है, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में मंदार पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्त

***** 177. **श्रीमती नूतन सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सहरसा नगर परिषद के गंगजला, नया बाजार, न्यू कॉलोनी, प्रशांत सिनेमा रोड, चाणक्यपुरी, रहमान चौक, फकीर टोला, पंचवटी चौक सहित अन्य मुहल्लों में वर्षा ऋतु में जल-जमाव की स्थिति बन जाती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मुहल्लों को वर्षा ऋतु में होने वाले जल-जमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 08 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्